<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052025-262975 CG-DL-E-08052025-262975

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135] No. 135] नई दिल्ली, बुधवार , मई 7, 2025/ वैशाख 17, 1947 NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 7, 2025/ VAISAKHA 17, 1947

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 5 मई, 2025

संख्या ई-14011/1/2024-रा.भा.नी:—राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/20015/45/87-रा.भा.(क-2), दिनांक 15 मार्च, 1988 तथा कार्यालय ज्ञापन संख्या II/20015/6/92 रा.भा. (क-2), दिनांक 10 जून, 1992 के अनुसरण में तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के समय-समय पर संशोधित संकल्प संख्या ई-14011/1/2022 रा.भा.नी., दिनांक 15.03.2022 का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। इस पुनर्गठित समिति का गठन, कार्य आदि निम्नानुसार होंगे:-

गठन

श्रम और रोजगार मंत्री

अध्यक्ष (पदेन)

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

उपाध्यक्ष (पदेन)

गैर सरकारी सदस्य

3016 GI/2025 (1)

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित

 श्री रमेश अवस्थी, संसद सदस्य (लोक सभा) मकान संख्या 51, साऊथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001

सदस्य

 श्री अशोक कुमार यादव,संसद सदस्य (लोक सभा) बी-203 एमएस फ्लैट्स, गोमती, बी.के.एस. मार्ग, नई दिल्ली-110001

सदस्य

3. श्री नारायणसा के. भांडगे, संसद सदस्य (राज्य सभा) मकान नं. 235, वार्ड-11 लक्ष्मी नगर, बागलकोट, कर्नाटक, पिन 587101 सदस्य

4. श्री सामिक भट्टाचार्य, संसद सदस्य (राज्य सभा) 66 साल्टलेक, सैकटर-2 पीओ सेच भवन, पीएस विधान नगर, नार्थ 24 परगना पश्चिम बंगाल। पिन 700091

सदस्य

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित

डॉ.धर्मशीला गुप्ता, संसद सदस्य (राज्य सभा)
 602 स्वर्ण जयंती सदन, डॉ.बी.डी.मार्ग,
 आरएमएल अस्पताल के पास, नई दिल्ली-110001

सदस्य

6. श्री ईरण्ण कड़ाड़ी संसद सदस्य (राज्य सभा) सी- 203 स्वर्ण जयंती सदन, डॉ.बी.डी.मार्ग, आरएमएल अस्पताल के पास,नई दिल्ली-110001 सदस्य

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि

 डॉ. साकेत सहाय
 2-17-108, कंक्रीट मैस्ट्रो,
 फ्लैट नं. 401 एसबीआई कॉलोनी ऊपल हैदराबाद -500039 सदस्य

अखिल भारतीय हिन्दी संस्थाओं के प्रतिनिधि

डॉ. वी.एस.चौहान,
एस-32 प्रथम तल, व्यावसायिक परिसर
ग्रीन पार्क, उपहार सिनेमा के पास,
नई दिल्ली 110016

सदस्य

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा नामित

श्री शिवानंद द्विवेदी
गांव+डाक-डाकखाना-सजॉव,
जिला-देवरिया (उत्तर प्रदेश)

सदस्य

श्री अरविन्द कुमार सिंह
 एल-1/6, श्रीकृष्णापुरी,बोरिंग रोड,
 पटना 800001

सदस्य

 डॉ. वी.के.अग्रवाल
 232, प्रभावी अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 29-बी सैक्टर 10, द्ववारका, नई दिल्ली 110075

सदस्य

12. श्री पी.एल.कोठारी देवी अनुपमा,1-ए ब्लॉक, डीडीए मार्किट, वसंत मार्ग वसंत विहार, नई दिल्ली 110057 सदस्य

सदस्य

राजभाषा विभाग द्वारा नामित

13. डॉ.बीनू डी, सदस्य पुलारी, पयत्तुविल्ला, पयत्तुविला, पो.ओ. तिरुवनंतपुरम, पिन-695501
14. डॉ. धर्मपाल साहिल, पंचवटी, एकता एन्कलेव सदस्य

 डा. धमपाल सााहल, पचवटा, एकता एक्कलब गली. न. 2 डा.खा. साधु आश्रम, होशियारपुर पंजाब 146021

15. श्री आदर्श पित तिवारी, ग्राम-रामपुर तिवारी, पोस्ट-बिरयारपुर जिला-देविरया, उत्तर प्रदेश 1274001.

सरकारी सदस्य

16.	सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय	सदस्य
17.	सचिव, राजभाषा विभाग और भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार	सदस्य
18.	विशेष सचिव/अपर सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय	सदस्य
19.	महानिदेशक (सांख्यिकी), श्रम और रोजगार मंत्रालय	सदस्य
20.	संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय	सदस्य
21.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
22.	महानिदेशक (श्रम कल्याण), श्रम और रोजगार मंत्रालय	सदस्य
23.	महानिदेशक (रोजगार), श्रम और रोजगार मंत्रालय	सदस्य
24.	मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), श्रम और रोजगार मंत्रालय	सदस्य
25.	महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय, मुम्बई	सदस्य
26.	महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली	सदस्य
27.	महानिदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद	सदस्य
28.	केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली	सदस्य
29.	महानिदेशक, श्रम ब्यूरो, शिमला/चंडीगढ़	सदस्य
30.	महानिदेशक, दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नई दिल्ली	सदस्य
31.	महानिदेशक, वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा	सदस्य
32.	उप-महानिदेशक, श्रम और रोजगार मंत्रालय	सदस्य-सचिव

2. कार्य:

इस समिति का कार्य भारत के संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णयों तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ/स्वायत्त कार्यालयों के कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के बारे में सलाह देना होगा।

3. कार्यकाल:

इस समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से सामान्यत: तीन वर्ष तक होगा। संसद सदस्य, जो इस समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इससमिति के सदस्य नहीं रहेंगे। समिति के पदेन सदस्य उस समय तक समिति के सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे अपने उन पदों पर हैं, जिनके कारण वे समिति के सदस्य बने। समिति के कार्यकाल के दौरान, यदि किसी व्यक्ति को समिति का सदस्य नामित किया जाता है तो वह उस समिति के कार्यकाल की शेष अविध के लिए ही सदस्य होगा। विशेष परिस्थितियों में, इस समिति का कार्यकाल घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

4. मुख्यालय:

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

5. यात्रा तथा अन्य भत्ते:

यह समिति उच्च स्तरीय होगी तथा इसके उच्चस्तरीय स्वरूप के दृष्टिगत समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/22034/04/86-रा.भा. (क-2), में निहित दिशानिर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित /निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते दिए जाएंगे।

<u>आदेश</u>

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति इस समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

नागेश कुमार सिंह, उप-महानिदेशक

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT RESOLUTION

New Delhi, the 5th May 2025

No. E-14011/1/2024-RBN: In pursuance of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language O.M No. II/20015/45/87-O.L.(A-2) dated 15th March, 1988 and O.M.No. II/20015/6/92-O.L.(A-2) dated 10th June, 1992 and in supersession of the Ministry of Labour and Employment's Resolution No. E-14011/1/2022-RBN dated 15.03.2022, amend from time to time, the Government of Indian have decided to reconstitute the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Labour & Employment. The composition, functions etc. of the reconstituted samiti will be a given hereunder:

Composition

Hon'ble Labour and Employment Minister
Hon'ble Minister of State (Labour and Employment)

Chairman (Ex- Officio)

Vice-Chairman(Ex- Officio)

NON OFFICIAL MEMBER

Nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs

1. Sh. Ramesh Awasthi, Member of Parliament (Lok Sabha), H.No. 51. South Avenue. New Delhi-110001

Member

[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 5

2. Sh. Ashok Kumar Yadav, Member of Parliament (Lok Sabha) Member B-203, MS Flats, Gomti, BKS Marg, New Delhi – 110001 3. Sh. Narayansa K Bhandge, Member of Parliament (Rajya Sabha) Member H.No. 235, Ward No. 11, Laxmi Nagar, Bagalkot, Karnataka, - 587101 4. Sh. Samik Bhattacharya, Member of Parliament (Rajya Sabha) Member 66, Salt Lake, Sector – 2, P. O., Sech Bhawan, PM VIdhan Nagar, 24 Pargana, West Bengal, 700091 Nominated by the Committee of Parliament on Official Language Dr. Dharamshila Gupta, Member of Parliament (Rajya Sabha) Member 602, Swarna Jayanti Sadan, Dr. B. D. Marg, near RML Hospital, New Delhi -110001 6. Sh. Iranna Kadadi, Member of Parliament (Rajya Sabha) Member C-203 Swarna Jayanti Sadan, Dr. B. D. Marg, near RML Hospital, New Delhi -110001 Representative, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad 7. Sh Saket Sahay Member 2-17-108. Concrete Maestro House No. 401 SBI Colony Uppal, Hyderabad-500039 Representative of AkhilBhartiya Hindi Sansthan Dr. V. S. Chauhan Member S-32, First Floor, Industrial Area, Green Park, Near Uphar Cinema, New Delhi – 110016 Nominated by the Ministry of Labour & Employment 9. Sh Shivanand Dwivedi Member Village PO Sajaon, District – Deoria, Uttar Pradesh 10. Sh. Arvind Kumar Singh Member L1/6, Srikrishnapuri, Boring Road, Patna – 800001 11. Member Dr. V. K. Aggarwal 232, Prabhavi Apartment, Plot No. 29-B, Sector – 10, Dwarka, 110075 12. Sh. P. L. Kothari Member Devi Anupama, 1-A, Block, DDA Market, Vasant Marg, Vasant Vihar, New Delhi - 110057 Member

Nominated by the Deptt. Of Official Language

13. Dr. Beenu D, Member

Member

Member

Pulari, Payattuvilla, Payattuvilla, P.O. Thiruvananthapuram, pin-695501

14. Dr. Dharampal Sahil,

Panchwati Ekta Enclave.

Gali N. 2, Post Office, Sadhu Ashram

Hoshiyarpur (Punjab 146021)

15. Shri Adarsh Pati Tiwari,

Village-Rampur Tiwari,

Post Bariyarpur,

Distt. Dewariya (Uttar Pradesh) 274001

OFFICIAL MEMBERS

Secretary, Ministry of Labour & Employment
 Secretary, Department of Official Language and Hindi Adviser to the Govt. of India
 Special Secretary/Additional Secretary, Ministry of Labour & Employment
 Member

19. Director General (Statistics), Ministry of Labour & Employment Member 20. Joint Secretary & Financial Adviser, Ministry of Labour & Employment Member Joint Secretary, Deptt. Of Official Language Member Director General (Labour Welfare), Ministry of Labour & Employment Member Director General (Employment), Ministry of Labour & Employment Member Chief Labour Commissioner (Central), Ministry of Labour & Employment Member Director General, Dte. Genl. Factory Advice Service and Labour Institute, Member Mumbai 26. Director General, Employees State Insurance Corporation, New Delhi Member Director General, Dte. Genl. Mines Safety, Dhanbad Member Central Provident Fund Commissioner, Employees Provident Fund Member Organisation, New Delhi 29. Director General, Labour Bureau, Shimla/Chandigarh Member 30. Director, Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Member Developement, New Delhi 31. Director General, V.V. Giri National Labour Institute, Noida Member 32. Deputy Director General, Ministry of Labour & Employment Member-Secretary

2. Functions:

The functions of the Samiti will be to review the implementation of the provisions relating to Official Language contained in the constitution, Official Language Act and the Rules framed thereunder, decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by Ministry of Home Affairs (Department of Official Language) relating to Official Language and also to render advice in regard to increasing the progressive use of Hindi in official work in the Ministry of Labour & Employment and its attached/subordinate/autonomous offices.

3. Tenure:

The tenure of the Samiti will be ordinarily three years from the date of its constitution. Members of Parliament, who are also members of the Samiti, shall cease to be members of the Samiti as soon as they cease to be the member of Parliament. Ex-officio members of the Samiti shall continue as members as long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti. If a person is nominated as member in the middle of the term, he will hold the office for the remaining period of the Samiti. Under special circumstances, the tenure of the committee may be curtailed or extended.

4. Headquarter:

The Headquarter of the Samiti shall be at New Delhi.

5. Travelling & Other Allowances:

The Samiti will be a high level committee and keeping in view the high level status of the committee, the Non-official members of the Samiti will be paid travelling allowance and daily allowance for attending the meetings of the Samiti as per guidelines contained in the Department of Official Language O.M.No. II/22034/04/86-O.L.(A-2) dated 22nd January, 1987 and in accordance with the prescribed rates and rules as amended/fixed by the Government of India from time to time.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the members of this committee, all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Niti Aayog, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues and all Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for General information.

NAGESH KUMAR SINGH, Deputy Director General